प्रथम अध्याय

प्रस्तावना

अध्याय –I

शोध परिचय

1.1.0 भूमिका :

शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, जो मनुष्य की जन्मजात शक्तियों के स्वाभाविक और सामंजस्यपूर्ण विकास में योग देती है, व्यक्ति और वैयक्तिकता का पूर्ण विकास करती है। उसे वातावरण से सामंजस्य स्थापित करने में सहायता देती है। उसे जीवन और नागरिकता के कर्तव्यों और दायित्वों के लिए तैयार करती है और उसके व्यवहार, विचार और दृष्टिकोण में ऐसा परिवर्तन करती हैं जो समाज, देश और विश्व के लिए हितकर होता है।

शिक्षा केवल वहीं नहीं जो बालक को स्कूल में मिलती है बल्कि शिक्षा का कार्यक्रम जीवनभर चलता रहता है। अतः मनुष्य की शिक्षा जन्म से लेकर अंत तक की होती है। मनुष्य विभिन्न अनुभवों से अपने जीवनभर कुछ न कुछ सीखता है, वह हर किसी परिस्थिति और हर किसी मनुष्य से कुछ न कुछ सीखता है।

शिक्षा तथा ज्ञान का अटूट रिश्ता है। शिक्षा की प्रक्रिया का मूलतत्व बुनियादी तोर पर 'ज्ञान के आदान–प्रदान' से ही जुड़ा है। शिक्षा के उद्देश्यों अथवा शैक्षिक सामग्री अथवा शैक्षिक विधियों का मूल लक्ष्य यही माना जाता है कि इनके माध्यम से विधार्थी को ज्ञान से युक्त किया जा सके ताकि वह इस आधारभूत ज्ञान के आधार पर ज्ञान का सर्जक बन सके और विवकेपूर्ण ढंग से ज्ञान का उपयोग कर सके। वस्तुतः प्रत्येक शैक्षिक विषय यथा समाजशास्त्र, मनोशास्त्र, साहित्यशास्त्र, राजनीतिशास्त्र

आदि के अन्तेन्य तथ्यों, इनकी विधियों तथा समस्याओं का सीधा संबंध 'ज्ञान' से ही हैं। सृष्टि के विभिन्न रहस्यों के खुलने अथवा खोलने हेतु निरंतर किए जानेवाले प्रयासों का भी सीधा संबंध 'ज्ञान' से ही है। अतः तकनीकी विकास अथवा अन्य अनेक कारणों से 'ज्ञान के विस्फोट' के रूप में माने जानेवाले इस युग को यदि 'ज्ञान का युग' कहा जाए तो संभवतः अतिश्योक्ति न होगी।

1.1.1 ज्ञान का अर्थ :

ज्ञान का वास्तविक अर्थ है- जानना अर्थात् बोध करना। ज्ञान के अर्थ के अंतर्गत अनुभूति (लौकिक व अलौकिक) होना, जानकारी या सूचना प्राप्त करना एवं क्रिया करना सम्मिलित होते हैं! ज्ञान क्या है? - सवाल का उत्तर 'जानना' शाब्दिक अर्थ ही ज्ञान नहीं है। किसी भी वस्तु के बारे में ज्ञान की इस अवधारणा को विस्तृत करना आज की शिक्षा के लिए अत्यांवश्यक मुद्दा है।

शिक्षा का मुख्य लक्ष्य छात्रों को ज्ञान प्रदान करना होता है। ज्ञान प्रक्रिया, ज्ञान सामग्री तथा ज्ञान के लक्ष्य को पाठ्यक्रम के विकास हेतु ध्यान में रखा जाता है और उसकी उपादेयता एवं प्रमाणिकता को भी ध्यान में रखा जाता है।

1.1.2 ज्ञान का दर्शनशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य :

दर्शन शास्त्र में भिन्न-भिन्न दर्शनों ने ज्ञान के अर्थ, स्वरूप एवं स्त्रोतों का विवेचन अपने-अपने ढंग से किया है। आदर्शवादियों ने ज्ञान की व्याख्या, ज्ञाता और ज्ञेय के संबंध के रूप में की है। प्रकृतिवादियों ने ज्ञानेन्द्रियों एवं प्रत्यक्ष-अनुभव को विशेष महत्व दिया है। हम मनुष्य को क्या बनाना चाहते है? इसमें शिक्षा की सहायता लेनी पडती है और शिक्षा में ज्यादातर ज्ञान मिमांसा का विशेष उपयोग होता है ।

- ज्ञान क्या है ?
- ज्ञाता और ज्ञेय में क्या संबंध है ?
- क्या ज्ञान की अर्न्तवस्तु है या वह उससे भिन्न है ?
- ज्ञान की सीमाऐं क्या है ?
- ज्ञान के स्त्रोत क्या है ?
- क्या ज्ञाता का ज्ञान संभव है यदि नहीं तो क्या जाना जाता है ?
- यदि ज्ञेय एक वस्तु है तो यह वस्तु क्या है ?
- क्या किसी वस्तु को जाने बिना उसके अस्तित्व का ज्ञान हो सकता है ?
- हम सत्य और असत्य ज्ञान में कैसे अन्तर कर सकते है ? तो, अज्ञान क्या है ? क्या वह ज्ञान का ही एक रूप है अथवा उससे भिन्न है ?
- ज्ञान की प्रकिया क्या है ?
- क्या अज्ञेय ऐसी वस्तु है जो ज्ञान से पूर्व ही उपस्थित थी ?
- क्या ज्ञान निश्चित है अथवा केवल अनुभूति और आस्था से हम उसे निश्चित मानते है ?

ऐसे ज्ञान संबंधी कई समस्याओं का समाधान, कई प्रश्नों का उत्तर दर्शन शास्त्र की ज्ञान मिमांसा शाखा में किया है। वैसे ज्ञान शब्द की कोई व्यापक परिभाषा देना कठिन है ।

ज्ञान के संबंध में दो प्रमुख विचार हैं :-

(i) वास्तविक ज्ञान का स्वरूप

(ii) सत्य अथवा द्रव्य का ज्ञान

इनको समझने के लिए तीन बातों का समझना आवश्यक है–

(i) ज्ञान का स्वरूप

(iii) ज्ञान की अवस्था

(iii) ज्ञान का अन्य पक्षो से संबंध

ज्ञान के स्वरूप को मानसिक घटना तथा मनोवैज्ञानिक क्रिया जैसे– जानना, करना और अनुभूति करना मानते हैं। यही मनुष्य के तीन प्रकार के व्यवहार होते हैं। दार्शनिकों ने ज्ञान को समझने के लिए तार्किक प्रक्रिया का उपयोग किया है। ज्ञान का संबंध किसी कार्य के करने की क्षमता से होता है, जैसे– पढ़ना, लिखना, बोलना, सीखना तथा तैरना आदि। ज्ञान का पक्ष वस्तु के गुणों से संबंधित होता है। यह पक्ष कुछ प्रतिज्ञप्तियों से संबंधित होता है। यह प्रदर्शित करता है कि वास्तविक ज्ञान तब होता है जब उसको, उस वस्तु को उसके वास्तविक रूप में दिखाया जाये (जैस–किसी वस्तु को दिखाना)।

1.1.3 भारतीय दर्शनशास्त्र में ज्ञान :

भारतीय दर्शन के अनुसार 'ज्ञान का अर्थ' समझने के लिए चार परिस्थितियों का बोध होना आवश्यक है।

(i) सत्य की वस्तुनिष्ठता

(ii) ज्ञान की सार्थकता

(iii) ज्ञान की सत्यता

(iv) तार्किक प्रतिज्ञप्ति सत्यता

भारतीय दर्शन के अनुसार चेतना को ज्ञान की संज्ञा दी जाती है। ज्ञानेन्द्रियों के अनुभव तक ही सीमित नहीं है। अपितु इन्द्रियों से

अनुभूतियों को भी ज्ञान मानते हैं। योग, ज्ञानयोग तथा भक्ति योग ज्ञान का साधन है। भारतीय दर्शन में ज्ञान के चार प्रमुख स्त्रोत माने जाते हैं।

(i) अनुभवजन्य, इन्द्रियों से – प्रत्यक्षीकरण

(ii) तार्किक चिन्तन

(iii) निर्णयों एवं स्वामित्व से तथा

(iv) अर्न्तदष्टि अथवा अन्तप्रज्ञा

वास्तव में ज्ञान के प्रमुख दो स्त्रोत यही है।

(i) ज्ञान इन्द्रियों के अनुभव तथा

(ii) तर्क चिन्तन

ये दोनों स्त्रोत समानरूप से महत्वपूर्ण है। तर्क चिन्तन बुद्धिवादी परंपरा है। इस चिन्तन का रूप तर्क, संवाद आदि कुछ भी हो सकता है। इस विधि से ज्ञान पाकर विद्यार्थीवर्ग विभिन्न उदाहरणों द्वारा सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। जबकि विभिन्न संदर्भो में अनेक प्रकार के अनुभवों के अंतर्गत विद्यार्थी की कर्मेन्द्रिया सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इसके अंतर्गत संपूर्ण ज्ञान इन्द्रियों के माध्यम से ही समाविष्ट होता है।

1.1.4 ज्ञान का सामाजिक एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य :

विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया आजीवन होती है। वह सहजरूप से परिवार, समुदाय, समवयस्क समूह, जनसंचार माध्यम, साथ–साथ विद्यालयों से हर स्थिति में कुछ न कुछ सीखता है। विद्यालयों में जो सीखता हैं वो औपचारिक रूप से सीखता है। दोनों परिस्थितियों में ज्ञान का स्वरूप भिन्न–भिन्न है। परिवार, समुदाय, समवयस्क समूह, जनसंचार माध्यम आदि से प्राप्त ज्ञान पूर्व निर्धारित और निश्चित नहीं बल्कि विद्यालयीन पुस्तकीय ज्ञान से भिन्न हैं। जबकि विद्यालय में पाठ्यक्रम अनुसार जो ज्ञान प्राप्त होता हैं वह ज्ञान पूर्व निर्धारित तथा निश्चित है

दोनों ज्ञान हासिल करने की प्रक्रिया तथा विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया, जो सीखा है उनका अर्थ निकालने का तरीका भिन्न-भिन्न है। दोनों ज्ञान को अपने आप जोड़ने का तरीका भी भिन्न-भिन्न है।

विद्यालयों में परीक्षा दरम्यान प्रश्नों के उत्तर क्या है वो निश्चित है जबकि आसपास के परिवेश से प्राप्त ज्ञान का उत्तर निश्चित नहीं है। वास्तव में विद्यालयों में ज्ञान के वास्तविकता का महत्व नहीं दिया जाता जबकि संदर्भिय ज्ञान में वास्तविकता का महत्व हैं। विद्यालयों में ज्ञान की अहम भूमिका है मगर संदर्भीय ज्ञान को हटाकर पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान के कारण विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया में कठिनाई दिखाई देती है। शिक्षा में विद्यालयीन पाठ्यक्रम के ज्ञान के साथ-साथ परिवेशीय संदर्भीय ज्ञान को जोड़ना जरूरी है।आज विद्यालयों में प्रदान की जानेवाली शिक्षा मात्र पुस्तकीय ज्ञान से ही संदर्भित की जा रही हैं। जहाँ विद्यार्थियों के सर्वांगीण मानसिक विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है। जहाँ विद्यार्थियों में केवल पुस्तकीय ज्ञान से संदर्भित बीज ही प्रस्फुरित किये जाते है जो कि उनके ज्ञान के स्तर को उस वास्तविक सीमा तक नहीं पहुँचा पाते हैं। विधार्थी पुस्तक से जो ज्ञान को ग्रहण करता हैं, वह चिरस्थायी ना होते हुए क्षणिक ही रहता है। एवं यह ज्ञान विद्यार्थी को जीवनपर्यन्त उपयोगी ना होते हुए ज्ञान की असीमित सीमा को सीमित कर देता हैं। यदि विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान के साथ-साथ संदर्भीय ज्ञान अर्थात् व्यवहारिक ज्ञान द्वारा शिक्षा प्रदान की जाए तो यह ज्ञान उनके मस्तिष्क के सर्वांगिण विकास के साथ-साथ जीवनोपयोगी, समाजोयोगी शिक्षा के रूप में संचित हो जाता है।

इस कथन की स्पष्टता रूसो द्वारा बताई गई शिक्षा प्रणाली जिसमें बालक के सर्वांगीण विकास हेतु बालक को प्रकृति के निकट रखकर

शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया। चुंकि प्रकृति के निकट रहकर बालक अपनी समस्त ज्ञानेन्द्रियों का प्रयोग करते हुए ज्ञान ग्रहण करता हैं और मनोवैज्ञानिक पक्ष में भी विद्यार्थी के सीखने की प्रक्रिया में उसकी समस्त ज्ञानेन्द्रियों का उपयोग होने पर ज्ञान चिरस्थायी रहता है।

प्रश्न उठता है कि ज्ञान क्या है? ज्ञान यथार्थ एवं अयथार्थ दोनों पक्षों से संबंधित होता हैं। ज्ञान का विस्तार मात्र पुस्तकीय रूप में नहीं हैं अपितु विद्यार्थी अपने पर्यावरणीय परिवेश से जो सीखता है वह ज्ञान उसके अनुभवों का संकलन होता है। विद्यार्थी सर्वप्रथम अपने परिवेश से ही वस्तुओं की पहचान, उनका कियान्वयन, संचालन, प्रकिया को सीखता है। तत्पश्चात् अपने पूर्व अनुभवों अर्थात् पूर्वज्ञान को समायोजन कर विद्यालयीन गतिविधियों में उत्तरोत्तर उन्नति के स्तर पर अग्रसित होता जाता है।

खारवा जाति के विद्यार्थी समुद्र तट पर निवासरत् है। जो कि प्रकृति/वातावरण से जुड़े होने के कारण केवल पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं है बल्कि संदर्भीय ज्ञान अर्थात् वस्तुओं के प्रत्यक्ष ज्ञान से पूर्णरूपेण परिचित हैं।

विद्यालयों में प्रायः विद्यार्थी उन्हीं तथ्यों पर रोचकता प्रकट करते हैं जो कि उनके पूर्व अनुभवों से संबंधित होते है। अतः विद्यार्थियों के पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान को संदर्भीय ज्ञान से जोड़कर ज्ञान के स्तर को बढ़ाया जा सकता हैं।

1.2 अध्ययन की पूर्वधारणा :

प्रस्तुत शोधकार्य स्थानांतरित खारवा जाति के विद्यार्थियों तथा अन्य विद्यार्थियों का पाठ्यपुस्तकीय तथा संदर्भीय ज्ञान में अंतर हैं? यह दोनों प्रकार के ज्ञान का अंतर विद्यालयों में विद्यार्थियों की सीखने की प्रक्रिया

एवं ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में असर करता हैं? ऐसे प्रश्नों का उत्तर शोधकर्ता ने निम्नांकित पूर्वधारणा के रूप में दिया है।

1. विद्यार्थियों का पाठ्यपुस्तकीय तथा संदर्भीय ज्ञान के बीच अन्तर ज्यादा है।
2. विद्यार्थियों का पाठ्यपुस्तकीय तथा संदर्भीय ज्ञान सिखने का तरीका भिन्न-भिन्न है।
3. विद्यार्थियों की संदर्भीय ज्ञान को पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान के साथ जोड़ने की प्रक्रिया भिन्न-भिन्न हैं।

1.3 अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व :

स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश राज्यकर्ताओं ने भारतीय लोगों की शिक्षा के प्रति उदासीनता बरतने में अपनी धन्यता समझी है। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारतीय इतिहास बताता है कि शिक्षा को भारतवासियों ने प्राथमिकता दी है। लेकिन खेदजनक बात यह है कि आजादी के 60 साल बाद भी और प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण की बातें करते हुये भी समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग याने खारवा जाति व्यवसाय हेतु या अन्य कारणोंसर स्थानांतरित होने के कारण अभी तक शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है।

भारत सरकार ने स्थानांतरित वर्ग की उन्नति के लिये एवं समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिये शिक्षा के माध्यम से प्रयत्न किये गये है। लेकिन स्थानांतरित वर्ग की उन्नति जीतनी चाहिए उतनी हुई नहीं। तत्पश्चात् खारवा जाति के लिये भारत सरकार ने 'सीझनल हॉस्टेल' खोलकर बच्चों को रहने से लेकर, खाना एवं पाठ्यपुस्तके निःशुल्क प्रदान किया।

एक तरफ अपने अभिभावकों के व्यवसाय हेतु स्थानांतर करके बीच में विद्यार्थीयों को विद्यालय छोड़ देनी पड़ती है। विद्यालय में नामांकन चालू

रखकर बीच-बीच में तीन-चार महिनों तक छुट्टी लेकर अपने अभिभावकों के साथ दूसरे स्थान पर विद्यार्थियों को जाना पड़ता है। अतः खारवा जाति के बच्चों का स्थानांतरित होने से विद्यालयीन शिक्षा से जो ज्ञान प्राप्त होता है वो अपूर्ण रहता है जो आगे चलकर शिक्षा में बाधारूप होता है।

स्थानांतरित होने के कारण खारवा जाति के विद्यार्थियों के विद्यालयीन ज्ञान में कमी आती है। किन्तु समुद्र तट पर बसने के कारण उन विद्यार्थियों में आस-पास का परिवेशीय ज्ञान है। क्या इन संदर्भीय ज्ञान को विद्यालयीन ज्ञान के साथ खारवा जाति के विद्यार्थियों जोड़ पाते हैं? इन विद्यार्थियों का पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान एवं संदर्भीय ज्ञान में कोई अंतर है? स्थानांतरित खारवा जाति के विद्यार्थियों के साथ शिक्षा लेने वाले अन्य स्थायी विद्यार्थियों जो एक साथ विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। दोनों की शिक्षा में कोई अंतर है? दोनों प्रकार के विद्यार्थी विद्यालय में ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? खारवा जाति एवं अन्य स्थायी विद्यार्थियों में जो पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान के अलावा संदर्भीय ज्ञान है वो ज्ञान कौन सा है? ये संदर्भीय ज्ञान और दोनों प्रकार के विद्यार्थियों का पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान में क्या अंतर हैं? यह जानना आवश्यक है।

संभव है कि खारवा जाति के विद्यार्थियों को आसपास के परिवेश में से प्राप्त वाला संदर्भीय ज्ञान ज्यादा हो? पूर्णरूप से हो? और स्थायी अन्य विद्यार्थियों को प्राप्त संदर्भीय ज्ञान परंपरागत ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान या परिवेशीय ज्ञान हो। स्थायी विद्यार्थियों के पास जो ज्ञान है वो पाठ्यपुस्तकीय एवं समाज या टेकनोलॉजी से जूड़े हुए अभिभावकों की अच्छी आर्थिक स्थिति के कारण आधुनिक ज्ञान हो? ऐसा कौन-सा पाठ्यपुस्तकीय और संदर्भीय ज्ञान है जो स्थानांतरित खारवा जाति एवं स्थायी अन्य विद्यार्थियों के बीच में अंतर दिखाता है? ऐसे अनुसंधानीय

कई प्रश्नों का उत्तर जानना संशोधनकर्ता ने उचित समझा। वर्तमान अध्ययन में शोधकर्ता ने इन्हीं प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास किया है।

शोधकर्ता ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के अध्ययन दौरान भारत में परंपरागत रूप से पाठ्यचर्या निर्धारण में जो विषय आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जो केवल विषयों पर आधारित होता है। इस कारण आज शिक्षा व्यवस्था में कई समस्याएँ है। जैसे कि-

(1) पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों का ज्ञान खण्डित रूप में होना।

(2) पाठ्यक्रम में पूर्व ज्ञान को ज्यादा महत्व देके बच्चों की ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया को नष्ट कर देना।

(3) पाठ्यक्रम में समाज के समकालीन मुद्दे को संबोधित करने की जगह नये विषय के रूप में सामिल करना।

(4) पाठ्यक्रम में ज्ञान के चयन के सिद्धांतों जो ठीक से बने नहीं उसे सामिल करना।

उपयुक्त समस्याओं को ध्यान में लेते हुये शोधकर्ता जानना चाहता था कि विभिन्न विद्यार्थियों के पास पाठ्यपुस्तकीय एवं संदर्भीय ज्ञान क्या है? विभिन्न विद्यार्थियों का सिखने का तरीका क्या है? इस उद्देश्य से शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोधकार्य करने का विचार अमल में रखा।

1.4 समस्या कथन :

"कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों का पाठ्यपुस्तकीय तथा संदर्भीय ज्ञान-एक अध्ययन"

1.5 अध्ययन के उद्देश्य :

हर एक शोधकार्य किसी न किसी उददे्श्यों को लक्ष्य में रखकर किया जाता है। प्रस्तुत शोधकार्य भी कुछ उददे्श्यों को ध्यान में रखकर किया गया था। यहाँ पर शोधकर्ता ने अपने मर्यादित साधन, शक्ति एवं

समय को लक्ष्य में लेकर मात्र उद्देश्यों को नजर समक्ष रखकर शोध अध्ययन करना उचित समझा। प्रस्तुत शोधकार्य के प्रमुख उद्देश्यों निम्नांकित थे –

कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों का पाठ्यपुस्तकीय तथा संदर्भीय ज्ञान का अध्ययन करना ।

1. कक्षा आठवीं के स्थानांतरित विद्यार्थियों का पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान का अध्ययन करना।
2. कक्षा आठवीं के अन्य विद्यार्थियों का पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान का अध्ययन करना।
3. कक्षा आठवीं के स्थानांतरित विद्यार्थियों का संदर्भीय ज्ञान को ज्ञात करना।
4. कक्षा आठवीं के अन्य विद्यार्थियों का संदर्भीय ज्ञान के बारे में जानना।
5. कक्षा आठवीं के स्थानांतरित तथा अन्य विद्यार्थियों का पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान में अंतर ज्ञात करना।
6. कक्षा आठवीं के स्थानांतरित तथा अन्य विद्यार्थियों का संदर्भीय ज्ञान में अंतर ज्ञात करना।

1.6 अध्ययन क्षेत्र :

स्थानांतरित एवं अन्य विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर तथा ज्ञान की प्रकृति के बारे में पाठ्यपुस्तकीय तथा परिवेशीय संदर्भीय ज्ञान को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध कार्य का क्षेत्र ''ज्ञान का समाजशास्त्र'' था।

1.7 अध्ययन प्रकार :

प्रस्तुत शोधकार्य विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर, पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान के बारे में जानने के लिए शोधकर्ता द्वारा औसत प्रतिशत अंक शास्त्रीय प्रयुक्ति

का उपयोग किया गया तथा ज्ञान की प्रकृति, संदर्भीय ज्ञान के बारे में जानने के लिए निर्धारित समूह चर्चा, सहभागी निरीक्षण, असंरचित साक्षात्कार द्वारा सूक्ष्म स्तर पर विद्यार्थियों के ज्ञान का अध्ययन करके उनका गुणात्मक पृथक्करण किया गया। अतः प्रस्तुत शोधकार्य संख्यात्मक एवं गुणात्मक स्वरूप का था।

1.8 अध्ययन प्रश्नों :

शोधकर्ता ने अध्ययन उद्देश्यों को लक्ष्य में रखकर शोधकार्य करना उचित समझा। जिनमें विद्यार्थियों का पाठ्यपुस्तकीय तथा संदर्भीय ज्ञान के बारे में जानने हेतु कई प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया गया। प्रस्तुत शोधकार्य में अध्ययन प्रश्नों निम्नांकित थे।

1. क्या स्थानांतरित एवं अन्य विद्यार्थियों में पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान में कोई अंतर है ?
2. क्या स्थानांतरित एवं अन्य विद्यार्थियों के संदर्भीय ज्ञान में कोई अंतर है ?
3. स्थानांतरित विद्यार्थियों के पाठ्यपुस्तकीय तथा संदर्भीय ज्ञान में क्या अंतर है ?
4. अन्य विद्यार्थियों के पाठ्यपुस्तकीय तथा संदर्भीय ज्ञान में क्या अंतर है ?
5. स्थानांतरित विद्यार्थियों में संदर्भीय ज्ञान ज्यादा हैं ? कौनसा व संदर्भीय ज्ञान है, जो विद्यार्थियों पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान से जोड़ पाते हैं ?
6. स्थानांतरित एवं अन्य विद्यार्थियों जो ज्ञान प्राप्त करता हैं, यह ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में कोई अंतर है ?

7. स्थानांतरित एवं अन्य विद्यार्थियों के ज्ञान का स्तर तथा ज्ञान की प्रकृति में कोई अंतर है ?

1.9 तकनीकी शब्दों की कार्यात्मक व्याख्या :

प्रस्तुत शोध अध्ययन में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया गया है तथा उनकी व्याख्या की गई है।

1. पुस्तकीय ज्ञान
2. संदर्भीय ज्ञान
3. अन्य विद्यार्थियों
4. स्थानांतरित विद्यार्थी (खारवा जाति के विद्याथियों)

1. पुस्तकीय ज्ञान :

इस शोधकार्य में "पुस्तकीय ज्ञान" शब्द का अर्थ उस औपचारिक ज्ञान से हैं जो विद्यालयों में विभिन्न विषयों के रूप में पुस्तकों द्वारा दिया जाता है। इस ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा द्वारा किया जाता है, जो ज्ञान सिर्फ पाठ्यक्रम का ही होता है। ज्ञान विभिन्न भाषाओं, गणित, विज्ञान तथा अन्य विषयों के रूप में पाठ्यक्रम में शामिल होता है। एक तरह से जो ज्ञान निर्धारित एवं निश्चित है तथा भिन्न-भिन्न विषयों में पूर्णरूप से न होकर टुकड़ों के रूप में विद्यालयों में विद्यार्थियों को दिया जाता है। ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, ज्ञान को सीखने का तरीका विद्यालय में सभी विद्यार्थियों का एक तरह का हैं। परीक्षा दौरान विभिन्न विषयों का प्रश्न-पत्रों द्वारा विद्यार्थियों जो उत्तर देते है, वो उत्तर पुस्तक में शामिल है उनके अलावा अन्य उत्तर नहीं हो सकता। यह ज्ञान जो विद्यालयों में समयांतर पर परीक्षा द्वारा नापा जाता है। प्रस्तुत शोधकार्य में शोधकर्ता ने सत्रांत गुणपत्रक द्वारा विद्यार्थियों का पुस्तकीय ज्ञान का अध्ययन किया गया है।

2. संदर्भीय ज्ञान :

इस शोधकार्य में 'संदर्भीय ज्ञान' शब्द का अर्थ वह अनौपचारिक ज्ञान के रूप में प्रयुक्त है जिसे विद्यार्थी अपने आस-पास के परिवेश में से प्रत्यक्ष अनुभव से, किया करके, सोचकर, सहज रूप से परिवार, समुदाय, समवयस्क समूह, जनसंचार माध्यम आदि से प्राप्त करता है। इस ज्ञान को आज की शिक्षा में विद्यालयीन ज्ञान के साथ जोड़ना अत्यंत जरूरी हैं जो पाठ्यक्रम में नहीं है। यह ज्ञान जो भिन्न-भिन्न विषयों में पूर्णरूप से हैं, जो निर्धारित एवं निश्चित नहीं है। भिन्न-भिन्न विद्यार्थियों की यह ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया, सीखने का तरीका भी भिन्न-भिन्न होता है। इस ज्ञान का विद्यार्थियों द्वारा सवालों का उत्तर भी भिन्न-भिन्न होता है। शोधकर्ता द्वारा स्थानांतरित खारवा जाति तथा अन्य विद्यार्थियों के साथ निर्धारित समूह चर्चा तथा सहभागी निरीक्षण द्वारा संदर्भीय ज्ञान का अध्ययन किया गया है।

3. अन्य विद्यार्थियों :

इस शोधकार्य में अन्य विद्यार्थियों का अर्थ उन विद्यार्थियों से है जो सभी धर्मो, जातियाँ, सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक, ग्रामीण एवं शहरी, अभिभावकों के विभिन्न व्यवसाय आदि विभिन्न स्तरों में बांटा गया है। जो विद्यार्थी अपने अभिभावकों के व्यवसाय के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले खारवा जाति के विद्यार्थियों से भिन्न है। एक ही स्थान पर स्थायी होकर बसते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्थानांतरित खारवा जाति के ज्यादातर विद्यार्थियों समुद्र के आस-पास बसे हुए है जबकि एक ही विद्यालय में इन खारवा जाति के बच्चों के साथ जो अन्य

विद्यार्थियों के रूप में अध्ययनरत् हैं उन सभी विद्यार्थियों को शोधकर्ता ने प्रस्तुत शोध कार्य में 'अन्य विद्यार्थियों' शब्द से परिभाषित किया है।

4. स्थानांतरित विद्यार्थियों:

प्रस्तुत शोधकार्य में स्थानांतरित विद्यार्थियों का अर्थ उन विद्यार्थियों से हैं जो गुजरात में समुद्र किनारों पर मत्स्य उद्योग से जुड़े हुए खारवा जाति के बच्चे हैं।

भारत देश एक विशाल जनसमुदाय, धर्मो, जातियों, संस्कृतियों और भाषाओं के आधार पर विभिन्न वर्गो में बांटा हुआ है। गुजरात यह राज्य भारतदेश का प्रमुख हिस्सा है। इसकी आबादी में एक वर्ग ऐसा भी है जो सदियों से समुद्र किनारों पर बसता आया है। भारत के अनेक सामाजिक खण्ड समूहों का गठन, कई धर्मो, कई जातियों के आधार पर, कहीं भाषा के आधार पर, कहीं संस्कृति, कहीं रक्त और कहीं भौगोलिक परिस्थिति के आधार पर हुआ है। इनमें से कई समूह ऐसे हैं जो गुजरात के समुद्र किनारों पें बसा हुआ हैं, जिन्हें 'खारवा' जाति नाम से जानते हैं।

भौगोलिक दृष्टि से गुजरात में 1600 किलोमीटर का समुद्र किनारा है, जिनमें ज्यादातर ''सौराष्ट्र'' विस्तार आ जाता हैं। सौराष्ट्र में लगभग सभी जगह पर यह लोगो 'खारवा' से पहचाने जाते है। गुजरात में खारवा शब्द का एक अर्थ–खार+वा, खार–क्षार युक्त पानी और वा–हवा। गुजराती भाषा अनुसार **''जीनके जीवन में क्षारयुक्त हवा और पानी का साथ है उन्हें 'खारवा' कहा जाता है''**।

गुजरात के जनसमुदाय की ज्यादातर समुद्र किनारों पे बसनेवाली ये खारवा जाति एक इकाई है। गुजरात में सौराष्ट्र के मुख्यतया पोरबंदर, वेरावल, मांगरोल, वणांकबारा, दिव, सलाया आदि 12 शहरों में यह जाति के लोग बसते हैं। वर्ष 2001 की बस्ती गीनती के अनुसार सौराष्ट्र में

अंदाजित 5.00 लाख खारवा जाति के लोग है, जिनमें पोरबंदर शहर में अंदाजित 70 से 75 हजार खारवा जाति के लोग बसते हैं।

- खारवा जाति की प्रमुख विशेषताऐं :-

1. ज्यादातर लोग समुद्र किनारों पर बसते हैं।
2. इनका मुख्य व्यवसाय बढ़ई के रूप में नौका, जहाज बनाना। मच्छी पकड़ना, मच्छी की जाल बनाना, सुधारना इत्यादि।
3. खारवा जाति की अपनी एक भाषा होती है। जिसमें विचारों का आदान-प्रदान और पारंपारिक एकता होती है।
4. खारवा जाति का आर्थिक, शैक्षिक, पारिवारिक जीवन स्तर निम्न होना है।
5. खारवा जाति के सदस्यों की सामान्य संस्कृति, परंपराएं, नीति-रीति होती है।
6. खारवा जाति के सदस्यों में पारंपारिक आदान-प्रदान के कुछ सामान्य नियम और निषेध होते हैं। जिनके आधार पर विवाह, कानून इत्यादि नियंत्रित होते हैं जैसे कि 'पंचायत मंदिर'।

खारवा जाति का पारिवारिक, आर्थिक, शैक्षिक जीवन स्तर निम्न कोटि का है इनका जीवन वर्णन संक्षिप्त में-

खारवा जाति की आर्थिक परिस्थिति निम्न तथा व्यवसायी हेतु स्थानांतरण करने वाली जाति होने के कारण इनके मकान कच्चे होते हैं। मच्छी के व्यवसाय हेतु एक जगह से दूसरी जगह पर चार महिनों के लिए जाते है तब पत्तियों का तंबू जैसा आवास समुद्र किनारों पर बनाके बसते हैं। खारवा जाति का मुख्य व्यवसाय बढ़ई के रूप में नौका, जहाज बनाना, मच्छी पकड़ना, मच्छली की जाल बनाना, दुरस्त करना इत्यादि हैं। खारवा जाति का रीति-रिवाजों एवं परंपरा हिन्दुधर्म से मिला जुला है। किन्तु कुछ

परंपरागत ख्यालों से भिन्न पड़ता है जैसे कि अपने त्यौंहार, संस्कार, लग्नविधि, मान्यताऐं, तथा समाज की कुछ समस्याओं का निवारण कानूनन करके अपने ही समाज में 'पंचायत मंदिर' में करते है।

खारवा जाति की भाषा गुजराती ही है किन्तु भाषा अभिव्यक्ति तथा अपनी रीति में वर्ण उच्चार के कारण थोड़ी भिन्न होती है। जिनके द्वारा वे अपनी बातों को प्रदर्शित करते है। जैसे 'व' की जगह 'ट' और 'ब', 'ल' की जगह पर 'र' का उच्चारण होता है। एक और विशेषता में छोटे-बडे सभी को एकवचन में-'तु' के रूप में बुलाते हैं। एक मान्यता अनुसार प्यार और लागणी का रिश्ता बनाये रखने वाला शब्द 'तु' हैं। खारवा जाति के बच्चों एवं बड़े लोगों में साहसिकता, सक्रियता, विश्वास का गुण ज्यादा होता है।

खारवा जाति शिक्षा में काफी पिछड़ी जाति है प्राप्त जानकारी अनुसार- अंदाजित 30% उच्च शिक्षा, 6-8 बड़े डॉक्टर, 4-6 इंजीनियर और 1-2 प्रोफेसर ही आज तक बने हुए हैं। खारवा जाति के बच्चे ज्यादातर आठवीं कक्षा पूर्ण करके ही अपने व्यवसाय में जुड़ जाते हैं। जो कि आज बच्चों के अभिभावकों में शिक्षा प्रति जागरूकता के कारण मच्छली संबंधी व्यवसाय की वजह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने हेतु जाग्रत हुए है। किन्तु अभी भी खारवा जाति के कई बच्चें उच्च शिक्षा से वंचित है, यह सोचने की बात है।

1.10 अध्ययन का सीमाकंन :

1. प्रस्तुत शोधकार्य गुजरात राज्य के पोरबंदर शहर तक सीमित रखा गया है।
2. प्रस्तुत शोधकार्य विभिन्न स्थानांतरित जातियों में से मात्र खारवा जाति के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर किया गया है।

3. प्रस्तुत शोधकार्य कक्षा आठवीं के विद्यार्थियों पर किया गया है।

4. प्रस्तुत शोधकार्य मात्र गुजराती माध्यम के विद्यार्थियों पर किया गया है।

5. प्रस्तुत शोधकार्य पोरबंदर शहर की "श्री कस्तूरबा प्राथमिक विद्यालय" के कक्षा आठवीं के 10 स्थानांतरित विद्यार्थियों तथा 10 अन्य विद्यार्थियों, कुल 20 विद्यार्थियों तक सीमित रखा गया है।

1.11 अध्ययन की रूपरेखा :

1. शोधकर्ता द्वारा विद्यार्थियों के पाठ्यपुस्तकीय ज्ञान के संदर्भ में सत्रांत गुणपत्रक तथा संदर्भीय ज्ञान के संदर्भ में निर्धारित समूहचर्चा, सहभागी निरीक्षण, तथा असंरचित साक्षात्कार द्वारा जानकारी का वृत्तांत रूप में एकत्रीकरण किया गया है।

2. प्राप्त प्रदत्तों एवं जानकारी का पृथककरण तथा विश्लेषण एवं व्याख्या की गई है।

1.12 अगले अध्याय का पूर्व आयोजन :

प्रस्तुत शोधकार्य में अगले अध्याय का पूर्वायोजन इस प्रकार है।

1. अध्याय – II में समस्या संबंधी संदर्भीय साहित्य का सैद्धान्तिक आधार।

2. अध्याय – III में शोध प्रविधि एवं प्रक्रिया, न्यादर्श का चयन, शोध उपकरण का प्रशासन एवं फलांकन।

3. अध्याय – IV में प्राप्त प्रदत्तों जानकारी का वृत्तांत एवं पृथक्करण।

4. अध्याय –V में अध्ययन सारांश, शैक्षिक फलितार्थ एवं सुझाव/भविष्य के लिये अध्ययन संबंधी प्रश्नों।

Regional Institute of Education LIBRARY Bhopal